



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 ज्येष्ठ 1942 (श10)
(सं0 पटना 317) पटना, मंगलवार, 26 मई 2020

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 मई 2020

सं० 6 एस०एस०(6)25/2019-1372—विभागीय राज्यादेश संख्या-1280, दिनांक 14.05.2020 की कंडिका-6 के आलोक में फ़ोजेन सिमेन स्टेशन मरंगा, पूर्णियाँ के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु “प्रबंधन बोर्ड” का गठन सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। यह प्रबंधन बोर्ड फ़ोजेन सिमेन स्टेशन मरंगा, पूर्णियाँ के निर्वाध संचालन के लिए सभी प्रकार के निर्णय लेने हेतु पूर्ण शक्ति प्रदत्त होगी।

“प्रबंधन बोर्ड” का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र०सं०	पदनाम	पद
(i)	सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना	सदस्य
(iii)	प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना	सदस्य
(iv)	निदेशक, शोध, विहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	सदस्य
(v)	विभागाध्यक्ष, गाईनीकोलॉजी, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	सदस्य
(vi)	एन०डी०डी०बी० आनंद के प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना	सदस्य
(viii)	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
(ix)	फ़ोजेन सिमेन स्टेशन से संबंधित विशेषज्ञ (भारत सरकार के द्वारा नामित)	सदस्य
(x)	महाप्रबंधक, फ़ोजेन सिमेन स्टेशन, मरंगा, पूर्णियाँ	सदस्य सचिव

2. इस प्रबंधन बोर्ड को फ़ोजेन सिमेन स्टेशन, मरंगा, पूर्णियाँ के सफल संचालन के उद्देश्य से संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले पदों की शैक्षणिक योग्यता में आवश्यकतानुसार बदलाव का अधिकार होगा। परियोजना के

सम्यक निर्वहन हेतु प्रबंधन बोर्डको संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियत वेतन में आवश्यकतानुसार बदलाव का भी अधिकार होगा। जरूरत पड़ने पर प्रबंधन बोर्ड परामर्शदात्री का नियुक्ति कर सकता है।

3. प्रबंधन बोर्ड का यह भी दायित्व होगा की प्रत्येक तिमाही पर फ्रोजेन सिमेन स्टेशन द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा फ्रोजेन सिमेन स्टेशन के सफल संचालन हेतु सुझाव एवं निदेश महाप्रबंधक फ्रोजेन सिमेन स्टेशन, पूर्णियाँ को देंगे जिसका अनुपालन महाप्रबंधक फ्रोजेन सिमेन स्टेशन, पूर्णियाँ द्वारा किया जायेगा।

4. प्रबंधन बोर्ड द्वारा फ्रोजेन सिमेन स्टेशन, मरंगा, पूर्णियाँ में साँढ़ों की देख-भाल, चारा-पानी का प्रबंधन ससमय सिमेन का उत्पादन, गुणवत्ता प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञ की निरंतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रबंधन बोर्ड द्वारा फ्रोजेन सिमेन स्टेशन, मरंगा, पूर्णियाँ के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु महाप्रबंधक फ्रोजेन सिमेन स्टेशन, पूर्णियाँ को स्पष्ट रूप में वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त किया जायेगा।

6. महाप्रबंधक, फ्रोजेन सिमेन स्टेशन, मरंगा, पूर्णियाँ का यह दायित्व होगा की सभी प्रकार के नीति के निर्धारण हेतु **Rules & Regulations** तैयार करेंगे। तथा प्रबंधन बोर्ड की बैठक में उपस्थापित कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे ताकि यह संस्थान स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर सके।

7. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

महामहिम राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० सरवण कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 317-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>